

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)  
वादीगण बनाम प्रतिवादीगण  
तेजाराम मदनलाल वगैरह

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

मुकदमा नं.- 301 / 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिपिलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
11.12.14	<p>वादीगण ने जरिये अभिभाषक वाद पत्र अधीन धारा 53, 88 व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद पत्र का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 05.01.2015 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>सहायक कलक्टर</b> (एस.डी.ओ.) बायब (नागौर)</p> <p><i>पक्षकारान के अधिवक्ता</i> 5/1/15 नानाव का. म. 2015 बोठामोन धा. म. 2015 में विदिग में प्रकाश प्रकाश पर म. 2015 इ. म. लिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 18/2/15 गमन करें।</p> <p>18/2/15 वकील वादी उप. प्रतिवादी स. 1 से 4 की ओर वकील श्री शैलेन्द्र कावली ने वकालतनामा पेश किया। प. 00 सहव नागौर पधारते ही पत्रावली दिनांक 15/4/15 को पेश हो।</p> <p><i>पक्षकारान के अधिवक्ता</i> 15/4/15 बोठामोन धा. म. 2015 में विदिग में प्रकाश प्रकाश पर म. 2015 इ. म. लिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 29/4/15 गमन करें।</p> <p><i>पक्षकारान के अधिवक्ता</i> 29/4/15 बोठामोन धा. म. 2015 में विदिग में प्रकाश प्रकाश पर म. 2015 इ. म. लिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 15/7/15 गमन करें।</p>	

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश
17.4.17	<p>वहुलाप डफा/सफा के कामप के वकील कामप नही की जा सके। फावली डि 16.6.17 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
20/7	<p><b>पत्रकार/पत्रकारान के अविज्ञता</b></p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकारण उनके समक्ष दिनांक. 5-1-18...को प्रस्तुत करें। e</p>
5-1-18	<p><b>पत्रकार/पत्रकारान के अविज्ञता</b></p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकारण उनके समक्ष दिनांक. 18-4-18...को प्रस्तुत करें। e</p>
<p>08.06.18</p> <p>Not Press</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>8/6/18</p>	<p>फावली न्याय आप के डार शिविर में अउल सेवा केन्द्र प्रिण्डिया में पेश हुई। वकील वाली ने नोट प्रेस कर गियेदन किया कि वाडिगण वाड को आगे चलाना नही चाहते है इसलिए जरुरे विक्रोस श्वारीज किया जावे। वकील वाली के डारा नोट प्रेस करने के कारण वाडिगण का वाड जरुरे विक्रोस श्वारीज किया जाता है। पत्रावली फेसल मुमार डोक नम्बर से कम डोक डक्टर डाकिल हो। <i>[Signature]</i></p>